

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक **६/१** / गोपनीय / 2017
दो-२-१/2017

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अरविंद रघुवंशी	मंदसौर	बेगमगंज	रायसेन	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री शेख सलीम	ब्यावरा	राजगढ़	राजगढ़	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्रमांक **६/२** / गोपनीय / 2017
दो-३-१/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती प्रेमा साहू	शहडोल	सोहागपुर	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्रमांक **613** / गोपनीय / 2017
दो-3-1/2017 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती आरती शर्मा	टीकमगढ़	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	श्री अक्षत तायल	चंदेरी	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।
3	श्री सचिन जैन	राजगढ़	जीरापुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

टिप्पणी :-

- श्री अरविंद रघुवंशी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के अभ्यावेदन के आधार पर, उन्हें जबलपुर से मंदसौर के स्थान पर, जबलपुर से बेगमगंज (रायसेन) हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
- श्री शेख सलीम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यावरा जिला राजगढ़,
- श्रीमती प्रेमा साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल,
- श्रीमती आरती शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़,
- श्री अक्षत तायल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, चंदेरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चंदेरी जिला अशोकनगर,

का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
(मो. फहीम अनवर) 17.4.17
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **614** / गोपनीय / 2017
दो-3-1/2017 (भाग-ए)


जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।

3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5.
1. श्री अरविंद रघुवंशी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर,
 2. श्री शेख सलीम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा जिला राजगढ़,
 3. श्रीमती प्रेमा साहू, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल,
 4. श्रीमती आरती शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़,
 5. श्री अक्षत तायल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, चंदेरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चंदेरी जिला अशोकनगर,
 6. श्री सचिन जैन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजगढ़,
- को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें की पदस्थापना के नए स्थान पर दिनांक 20-04-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें । कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें ।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर / राजगढ़ / शहडोल / टीकमगढ़ / अशोकनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 20-04-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें । कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें ।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन / होशंगाबाद / मण्डलेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001 / जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (जिला स्थापना) / (आई०एल) / (न्यायिक-2) / (न्यायिक-1) / (सतर्कता) / रजिस्ट्रार / सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - (7) प्रभारी संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. रजिस्ट्रार (ई०) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च
न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च
न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/
अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को
सूचनार्थ अग्रेषित ।



* (मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल
54